77 / 011 दिनांक : 31.08.2011

प्रिय मथुरा जी,

सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के परिवाद पत्र पर झारखंड सरकार ने जमशेदपुर में टाटा सबलीज मामला की जांच के लिये राजस्व पर्षद् के तत्कालीन सदस्य श्री देवाशीष गुप्ता को अधिकृत किया था। झारखंड सरकार के पत्रांक–1876 दिनांक 12.07.2010 के क्रम में उन्होंने अपने पत्रांक–169 / रा0प0, दिनांक 12.10.2010 द्वारा अपना जांच प्रतिवेदन सौंप दिया है, जिसे झारखंड विधान सभा के बजट सत्र के दौरान संभवतः अंतिम दिन सरकार ने सदन में पेश किया।

इस प्रतिवेदन में प्रासंगिक विषय के संबंध में कतिपय गंभीर सवाल उठाये गये हैं जिनके विस्तार में गये बगैर मैं इसकी प्रमुख अनुशंसाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। सबलीज के लिए गठित एप्रोप्रियेट मशीनरी कमिटी के बारे में प्रतिवेदन में पृष्ठ 8 पर कहा गया है कि विभागीय संकल्प संख्या–3874, दिनांक 06.12.2005 नियमानुसार नहीं है, फलस्वरूप इसमें सुधार हेतु निम्नलिखित विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।

(1.) इसे रद्द कर दिया जाये एवं इस आधार पर दी गयी सभी सहमति रद्द कर दी जाए एवं नये सिरे से यह प्रक्रिया आरंभ कर भली–भाँति विचारोपरान्त पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सक्षम स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाए यदि किसी जमीन पर कोई तथाकथित लीजधारी द्वारा निवेश का दावा पेश किया जाता है तो जमीन को ऐसे उद्देश्य के लिए खुली डाक के माध्यम से बन्दोबस्त किया जाए, जो सरकार की योजना आदि के अनुरूप हो तथा तथाकथित लीजधारी द्वारा निवेश किये गये राशि को वापस कर शेष राशि सरकारी कोष में जमा कर दी जाए।

(2.) दूसरा विकल्प यह होगा कि सरकार के सक्षम स्तर यानी मंत्रिपरिषद में बन्दोबस्ती के सभी प्रस्तावों को लाकर घटनोत्तर अनुमोदन प्रदान की जाए, परन्तु इससे गलत पूर्वोदाहरण की संभावना रह जाती है। इससे सरकार की आलोचना होना भी संभावित है।

महोदय, सरकार कोई जांच प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर रखती है तो माना जाता है कि सरकार ने इसके प्रतिवेदन की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया है और सरकार तदनुरूप आवश्यक कार्रवाई करेगी। इस प्रतिवेदन के निष्कर्ष में उल्लेख है कि ''जांच के क्रम में यह बात भी सामने आयी है कि तथाकथित सबलीज की प्रक्रिया निर्धारित किये बिना राजस्व विभाग द्वारा लिये गये सरकारी निर्णय में खामियाँ रह गयी हैं, जिसमें राजस्व की क्षति संभव हुई है। जमीन की प्रस्तावित मूल्य ही इस बात का द्योतक है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी रूप में नहीं बनाई गई एवं इसमें सुधार आवश्यक है''। इसके अलावा प्रक्रिया में त्रुटि रहने के कारण निर्णय को सही नहीं माना जा सकता है, जिसका निराकरण आवश्यक है। भ्रष्टाचार की जांच पर प्रतिवेदन का कहना है कि इस विषय पर सरकार चाहें तो किसी अन्य एजेंसी को जांच सौंप सकती है।

आपको मालूम है कि जमशेदपुर में टाटा सबलीज में अनियमितता का मामला मैंने दिनांक 25.09.2008 को विधान सभा में उठाया था। मेरे प्रश्न पर सरकार द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिये जाने पर सभाध्यक्ष ने मामले की जांच के लिये विशेष समिति गठित करने और समिति द्वारा दो माह के भीतर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया। माननीय सदस्य प्रदीप कुमार बालमुचु को समिति का सभापति मनोनीत किया गया। परन्तु द्वितीय झारखंड विधान सभा की अवधि समाप्त होने तक समिति ने प्रतिवेदन नहीं सौंपा। कारण कि केवल एक आरम्भिक बैठक के बाद सभापति ने समिति की बैठक ही नहीं बुलाया। नतीजतन इस विषय की जांच अधूरी रह गई।

श्री देवाशीष गुप्ता के जांच प्रतिवेदन के साथ कतिपय आधिकारिक दस्तावेज और टाटा लीज नवीकरण 2005 संबंधी संचिका के कतिपय पृष्ठ भी संलग्न हैं। इनमें से एक दस्तावेज में संचिका पर तत्कालीन अपर वित्त सचिव श्री रविशंकर वर्मा द्वारा प्रधान सचिव वित्त को लिखी गई टिप्पणी है जिसे हू–ब–हू उद्धृत कर रहा हूँ। श्री रविशंकर वर्मा की टिप्पणी निम्नांकित हैः–

प्रधान सचिव (वित्त)

टाटा भूमि लीज नवीकरण से संबंधित एकरारनामा के प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति की अपेक्षा की गयी है। एकरारनामा प्रारूप के संदर्भ में महाधिवक्ता, झारखंड का मंतव्य पृष्ठ 76/टि0 पर दृष्टव्य है।

2. दिनांक 18.072005 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में टिस्को लीज संबंधी बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में वांछित बिन्दुओं का समावेश एकरारनामा के प्रारूप में किया गया है।

उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार द्वारा टिस्को को कुल 12,708.59 एकड़ भूमि 40 वर्षों के लीज पर टिस्को को दी गयी थी जिसका विवरण इस प्रकार हैः–

(1)	सिड्यूल – ।	(प्रोडक्शन प्रोसेस)	744.16 एकड़
(2)	सिड्यूल – ।।	(हाउसिंग सुविधा)	1418.94 एकड़
(3)	सिड्यूल – ।।।	(नागरिक सुविधा)	2235.39 एकड़
(4)	सिड्यूल – ष्ट	(सब लीज)	4301.75 एकड़
(5)	सिड्यूल – ट	(भैकेन्ट लैण्ड)	4008.35 एकड़
		कुल :	12708.59 एकड़

3. पूर्व के लीज की अवधि दिनांक 31.12.1995 को समाप्त हुई है। टिस्को के द्वारा दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से अगले 30 वर्षों के लिए कुल 10992.51 एकड़ भूमि के लीज नवीकरण का आवेदन दिया गया है परन्तु उपायुक्त के द्वारा कुल 10313.29 एकड़ भूमि लीज नवीकरण की अनुशंसा की गयी है।

4. संलग्न संचिका एवं ड्रॉफ्ट एग्रीमेंट से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि विभिन्न सिड्यूल के अन्तर्गत कितने भूमि लीज के नवीकरण का प्रस्ताव दिया गया है क्योंकि इसके साथ जो ।चचमदकपग होना चाहिए था वह संलग्न नहीं है। अतएव प्रशासी विभाग को इस बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि विभिन्न सिड्यूल के अन्तर्गत वास्तव में कितने भूमि को लीज का नवीकरण किया जा रहा है। उपायुक्त के अनुशंसा के आलोक में 10313.29 एकड़ भूमि के लीज का नवीकरण किया जा रहा है तथा शेष 2395.30 एकड़ जमीन सरकार के पास उपलब्ध किस रूप में है इसे प्रशासी विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए।

टिस्को के आवेदन के अनुसार 10992.51 एकड़ भूमि लीज नवीकरण का प्रावधान इस एकरारनामा के अन्तर्गत किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रशासी विभाग को सरकार के अधीन 1716.08 एकड़ भूमि रहनी चाहिए। इस बिन्दु को भी प्रशासी विभाग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

अतएव उपरोक्त उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत लीज ड्राफ्ट एकरारनामा के प्रारूप में माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

ह0/
(रवि शंकर वर्मा)

इस संबंध में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची के तत्कालीन आयुक्त द्वारा तत्कालीन बिहार सरकार के आयुक्त एवं सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित पत्रांक–473/मू0सु0, दिनांक 07 जून 1999 को भेजे गये पत्र के पृष्ठ 3 पर अंकित प्रासंगिक अंश को उद्धृत कर रहा हूँ जो निम्नांकित हैः–

(ग) टिस्को द्वारा 1688 एकड़ अतिक्रमित भूमि के नवीकरण हेतु प्रस्ताव नहीं दिया गया है। उपायुक्त के प्रतिवेदन के अनुसार अतिक्रमित भूमि का रकबा कहीं अधिक है। अधोहस्ताक्षरी की पृच्छा पर उपायुक्त, ने सूचित किया है कि लगभग 500 एकड़ अतिरिक्त अतिक्रमित भूमि को लीज से मुक्त करने हेतु टिस्को ने प्रस्ताव नहीं दिया है जिसमें कम्पनी को कोई संभावित योजना हो सकती है। मैंने आशंका व्यक्त की थी कि इस अतिरिक्त अतिक्रमित भूमि, जिसका टिस्को लीज नवीकरण चाहता है, को कहीं टिस्को ने स्वयं लोगों को दे तो नहीं दिया है। उपायुक्त ने इसे संबंध में उल्लेख किया है कि वस्तुस्थिति की जानकारी गहन जांच–पड़ताल के बाद ही हो सकती है। मेरे विचार से इस बिन्दु पर उपायुक्त को विस्तृत जांच–पड़ताल कर प्रतिवेदन देने के लिए कहा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि टिस्को को लीज के अन्तर्गत दी गई भूमि का सब लीज स्वयं करने का अधिकार नहीं है बल्कि इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है। यदि लगभग 500 एकड़ भूमि टिस्को द्वारा एकरारनामा का उल्लंघन कर लोगों को दी गई होगी तो इससे सरकारी राजस्व की काफी क्षति हो सकती है अतः इसकी जांच आवश्यक है।

इसमें स्पष्ट है कि कतिपय बस्ती क्षेत्रों को टाटा स्टील अपने लीज में नहीं रखना चाहता था, जिन्हें लीज नवीकरण के समय लीज से बाहर कर दिया गया। परन्तु अभी भी करीब 500 एकड़ में बसी बस्तियाँ टाटा लीज के अंदर हैं। सरकार को टाटा लीज से अलग हुई बस्तियों के साथ–साथ लीज के भीतर रह गई बस्तियों को भी मालिकाना हक देने अथवा लीज/सबलीज देने के बारे में समरूप दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए।

श्री देवाशीष गुप्ता के जांच प्रतिवेदन के अनुशंसा के आलोक में सरकार को 2005–06 के बाद दिये गये टाटा सबलीज की गहन जांच होनी चाहिए।

मेरा अनुरोध है कि सरकार अविलम्ब टाटा सबलीज को रद्द कर दे, इसमें हुई अनियमितता की जांच कराये और लीज के भीतर और बाहर की बस्तियों को उनकी वासगित जमीन बन्दोबस्त करने की शीघ्र कार्रवाई करे।

सधन्यवाद,

भवदीय

(सरयू राय)
पूर्व विधायक

सेवा में,
श्री मथुरा महतो
माननीय मंत्री,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखंड सरकार, राँची।